

कार्यालय ग्राम पंचायत - कुटीला

विकास स्पॅस जब्बनिया

जनपद - गाजीपुर

प्रगति

दिनांक 21/05/23

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मतदाता

अवगत कराना है कि दिनांक 21/05/23 का प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली वेटक की गयी। ऐसके निम्न पंचायत के सभी वाड़ सदस्य, लेखपाल, पालिका/जूहाईसहूल के प्रधानाचार्य, भव्याधक, शिक्षामित्र, औंगनवाड़ी कार्यकर्ता/समाचारका, कोठदार, १०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

नुकसान के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर वर्जन जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग ग्रामपाइप परियोजनों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के एकिया द्वारा दी गयी सहमति पन्थ सम्मान है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के विद्युत्यन्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अन: अनुरोध है कि कृपया यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कार्यालय का काट यारें।

संलग्नक: परियोजना द्वारा सहताक्षरित राजनीति पत्र।

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

मवदीग,
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-कुटीला
लै०३०११०-जब्बनिया वाराणसी

ग्राम प्रधान

सहायक प्रधानपालकर्ता (प०)
जब्बनिया, गाजीपुर।

ग्राम विकास आधिकारी शाचिहन
ग्राम पंचायत.....
विंख०-जब्बनिया, गाजीपुर



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख:	<u>21/05/23</u>
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:	<u>12/07/23</u>
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:	
2. ग्राम का नाम:	<u>प्रियंका</u>
ग्राम पंचायत वर्ग नाम:	<u>प्रियंका</u>
ब्लॉक का नाम:	<u>जरवनिधा</u>
ज़िला का नाम:	<u>गाजीपुर</u>
राज्य का नाम:	<u>(उत्तर प्रदेश)</u>
ग्राम जनगणना कोड:	

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

- ग्राम समुदाय की आकृता : (संघर्ष) नवेशी कुंड को और (संघर्ष) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् डी. घटे निर्धारित गुणवत्ता + यासे..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24. तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी सेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प सिवा जाता है कि पूँजी लागत कर 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिवर्णित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

- कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति)

समिति को क्या कहा जाता है: प्रियंका समिति

अध्यक्ष का नाम: धूमिल चौधरी

लिंग: पुरुष

आयु:

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विंख्या-जख्निया, गाजीपुर

ग्राम पंचायत-कुड़ीता
नैनेतूर रोड-जख्निया, गाजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

वर्तमान संख्या	<u>164</u>	परिवारों की संख्या	<u>200</u>
परिवारों की संख्या	<u>230</u>	परिवारों की संख्या	<u>261</u>
परिवारों की संख्या	<u>492</u>	परिवारों की संख्या	<u>604</u>
परिवारों की संख्या	<u>590</u>	परिवारों की संख्या	<u>727</u>
परिवारों की संख्या	<u>553</u>	परिवारों की संख्या	<u>662</u>

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 145 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 38 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यस्थी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 12 60

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 165 से 17011. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

1. बाल विकास कार्यक्रम	विद्यालयों का विस्तार	पर्यावरण का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार
2. आगनवाड़ी	विद्यालयों का विस्तार	पर्यावरण का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार
3. विद्यालयों का विस्तार	पर्यावरण का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार
4. यात्रा प्रशायत विवर	विद्यालयों का विस्तार	पर्यावरण का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार	विद्यालयों का विस्तार



यानी की कल दैनिक आदरशकाता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 74.1 के.एल.डी.
 नवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 91 के.एल.डी.
 मध्यस्थी कुंडों की आवश्यक संख्या: 4
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 114.2 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 78 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गौव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/धाढ़ या विसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कर्दें इतिवृत्त जैसे टंकिया, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोग का इतिवृत्त: पेट दूरी, हृजा, मलरिया, पीतियाँ

पानी की गणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की धौकसी के लिए अभिनिर्धारित तरीख: _____

21. सेनिट्रो निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तरीख: _____

22. जल आधूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले भौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कमड़े पीने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गर्भ के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल ब्लेस्टर के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अविनियोक्त स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्वान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____



स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के ज्ञानले में, क्या दोरवेत रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं) है/नहीं
25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काम्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: झुज़ुआंगी की मरम्मत
गंदले जल का प्रबंधन
26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ३३:६४ के एल.डी.
- अलग-अलग सोखा गढ़ो वाले परिवारों की संख्या: ८
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखा गढ़ों की आवश्यकता है: ५
आवश्यक सामुदायिक सोखा गढ़ों की संख्या: ५
क्या अपशिष्ट तत्त्वजट तात्त्वाद की आवश्यकता है? (है/नहीं): है
यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: (अधीक्षा वर्ष)
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कानून से अन्य उपार्थों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्णवर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे डे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्प्रिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 - बाटर यिडी/क्लोरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - निंदा सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है
28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: ताकलीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के
आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____
इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____
योजना की तारीख: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____
समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____
वार्षिक प्रचालन व रणनीतिक शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/
प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| निधि मेल-जोल का वर्णन |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क |
| प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क |
| प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क |
| प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क | प्रयोक्ता शुल्क |



योजना का नाम	बोन्ड/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बॉटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्भवण, जल निकायों का निर्माण/ बृहि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णद्वार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णद्वार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बॉटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपलब्धता विभिन्न फसलों के लिए सूखाम-सिंचाई का प्रावधान, एकवीक्षण से जल की निकासी को कम करने के लिए बहनीकरण, बन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
क्षतिपूरक घनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।	
समर्थ शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेटजल अपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन लिपियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला सुनिज विकास निधि (टी.एम.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांस्थियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.जो.एस.वी.वाई.)	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
एम.एल.ए.ए.ए.डी.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

आधिका का हस्ताक्षर: श्रीमति वा पा०

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लगा हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आधिका पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. आ०१११ देवी
2. दृष्टि लाला
3. रुचा
4. बैबी पाठ्य
5. अपौर्णा पाठ्य

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विंख्या-जखनिया, गजीपुर


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-कुडिला
लेंखोड रुचि जखनिया, गजीपुर


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)